प्रेषक,

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी उत्तरांचल.

पत्रांक: 672/स्व.स.स./2001 देहरादून दिनांक : 30.7.2001

विषय: स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा उनका गठन एवं विकास.

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे अवगत कराना है कि जनपदों से प्राप्त फीड बैक, अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ की गई समीक्षा से यह ज्ञात होता है कि क्षेत्र में अब भी स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा स्पष्ट नहीं है जिसका स्पष्ट होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि इसका प्रभाव समूह के गठन, प्रबन्धन एवं अन्ततः योजना के उद्देश्यों की पूर्ति पर पड़ेगा। इस क्रम में निम्न निर्देश निर्गत किए जाते हैं जिन से ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ताओं/एन.जी.ओ. आदि को भली–भांति अवगत कराया जाये।

1. प्रायः यह कहा जाता है कि एक परिवार के व्यक्तियों और दो भाईयों के बीच एकता एवं निर्वाह नहीं हो पाता है तो समूह के सदस्यों के बीच निर्वाह कैसे होगा ? इस विचार धारा के पनपने का मुख्य कारण योजनान्तर्गत समूह के परिप्रेक्ष्य में अवधारणा एवं प्राविधानों को न समझना है। योजना अन्तर्गत समूहों के गठन में समरूपता (होमोजेनिटी) एवं सम्बद्धता (कोहोन्सिवनेस) होनी आवश्यक है.
2. कार्यकर्त्ताओं के संशय का एक मुख्य कारण स्वरोजगारियों के द्वारा समूह ऋण के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं ये संशय भी निराधार हैं. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत समूह स्वतः अस्तित्व में नहीं आते और

स्वतः अस्तित्व (स्पान्टेनियस ओरिजन) के समूहों को योजनान्तर्गत कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। यहां ग्राम्य विकास कर्मियों/फेसिलिटेटर द्वारा प्रयास कर मानकों को दृष्टि में रख कर समूहों का गठन करना होता है और उन्हीं व्यक्तियों को सदस्य बनाना होता है जो मानक के अनुरूप हों और शर्तों को पूरा करते हों. आई.आर.डी. योजनान्तर्गत कोई समूह अवधारणा नहीं थी और वहां समूह स्वतः अस्तित्व में आते थे, या कतिपय स्वार्थी तत्वों द्वारा गठित कराये जाते थे. जिनके हितों उद्देश्यों और विकास की पृष्ठभूमि का कार्यकर्ता को न कोई जानकारी होती थी और न ही इसका कोई आंकलन होता था।

3. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत समूह गठन से पूर्व फेसिलिटेटर/शासकीय कर्मी को सहभागी आंकलन और सामुदायिक जागरूकता के चरण से गुजरना होता है. अतः समूह और उसके सदस्यों का पूरा प्रोफाइल उसकी आंखों के सामने होता है कहने का तात्पर्य यह है कि एस.जी.एस.वाई. का आई.आर.डी. समूह की भांति कोई साधारण समूह नहीं है अपितु सुविचारित, सुव्यवस्थित और जाना–पहचाना एवं परखा समूह है.

4. समूह गठन एवं सामूहिक क्रियाकलाप के परिप्रेक्ष्य में सामान्यतः कार्यकर्त्ताओं के मन में यह संदेह उभरता है कि समूह के सदस्यों को "किसी एक स्थान विशेष"/शेड/वर्कशाप में "एक साथ" बैठकर "एक निर्धारित समय" में प्रातः से सायं तक एक ही चयनित आर्थिक क्रियाकलाप के अन्तर्गत कार्य करना पड़ेगा, उन्हें वहीं उपस्थित अध्यक्ष/सचिव के निर्देशों का पालन करना होगा, उत्पादन के लिए उन्हीं से धन प्राप्त करना होगा और उत्पादन समूह के सुपुर्द करना होगा.

5. वास्तविक स्थिति उपर्युक्त स्थिति से भिन्न है. समूह के सदस्य अपने चयनित क्रियाकलापों को अपने अपने घर पर अपनी सुविधानुसार व्यक्तिगत स्वरोजगारी के तौर पर सम्पादित करने हेतु स्वतंत्र है. रणनीति यह है कि स्वरोजगारी स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनकर आन्तरिक बचत, अन्तरिक लेन–देन, ऋण से प्राप्त धनराशि की वापसी के विषय में क्षमता का विकास करें. निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर उक्त स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों/स्वरोजगारियों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा

जिसके लिए ऐसे स्वरोजगारियों के ऋण प्रार्थना–पत्र आदि भरवाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी/शासकीय कर्मी/फेसिलिटेटर कार्यवाही करेंगे तथा समूह को अवगत करायेंगे.

6. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के आरम्भ होने के पूर्व भी कतिपय संगठनों यथा–नाबार्ड, स्वजल, जे.एफ.एम. महिला समाख्या आदि के द्वारा भी स्वयं सहायता समूहों के गठन का कार्य किया जा रहा है. अतः अन्य संस्थाओं द्वारा गठित समूहों एवं एस.जी.एस.वाई. के समूहों में अन्तर स्पष्ट होना भी कार्यकर्त्ताओं हेतु नितान्त आवश्यक है जिसकी व्याख्या निम्नवत की गई है.

(1) विभागीय योजनान्तर्गत गठित समूहों में केवल ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को ही सदस्य बनाया जायेगा जबकि अन्यत्र ऐसी कोई बाध्यता नहीं है.

(2) योजनान्तर्गत समूह के सदस्य केवल ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लोग हो सकते हैं जबकि अन्यत्र दोनों ही प्रकार के सदस्य एक समूह में हो सकते हैं.

(3) एस.जी.एस.वाई. समूह में एक परिवार का एक ही व्यक्ति सदस्य हो सकता है.

(4) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समूह का सदस्य केवल एक समूह की सदस्यता प्राप्त कर सकता है तथा समूह का सदस्य रहते हुए दूसरे समूह का सदस्य नहीं हो सकता.

(5) योजनान्तर्गत गठित समूह को 6 माह के सफल कार्यकलाप के पश्चात रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जाता है.

(6) आर्थिक गतिविधियों के संचालन हेतु अन्य संगठनों के समूहों के लिए बैंक मात्र 'कैश क्रेडिट' की सुविधा देते हैं जिससे सदस्यों को उन की आन्तरिक बचत के सापेक्ष कुछ अधिक ऋण सुविधा प्राप्त होती है परन्तु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत समूहों की ग्रेडिंग में सफल होने के पश्चात और क्रियाकलाप शुरु करने हेतु परियोजना रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित परियोजना लागत के अनुरूप ऋण दिया जाता है. साथ ही अनुदान की सहायता भी मिलती है.

7. आशा है कि इन निदेशों से क्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों को योजनान्तर्गत समूह अवधारणा को समझने में सहायता मिलेगी तथा समूह गठन, उसके विकास एवं प्रबन्धन में उन्हें सुविधा होगी. आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि समूह गठन/संचालन प्रक्रिया में स्वयं परियोजना निदेशक को पूर्ण रूपेण आलिप्त (इन्वाल्व) करें और निरन्तर कार्यकर्त्ताओं/फेसिलिटेटर का मार्ग दर्शन करते रहें. किसी भी शंका/संशय अथवा जिज्ञासा की स्थिति में तुरन्त मुख्यालय से निर्देश हेतु सम्पर्क करें ज्ञातव्य है कि स्वयं सहायता समूहों के गठन की महत्वाकांक्षी योजना उत्तरांचल में लागू की जानी है. जिसका उद्देश्य 'प्रति ग्राम एक समूह' है. आशा है इस पुनीत कार्य में आप सभी यथाशक्ति योगदान करेंगे।

भवदीय,

डा. आर.एस. टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त